चिकित्सा विज्ञान प्रौधोगिकी एवं अन्य जरिये डायरेक्टर एस.सी.टी.आई

बनाम

एम पुष्करण

23 नवंबर, 2007

[एस.बी. सिन्हा व हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.]

सेवा कानूनः नियुक्ति- प्रत्यार्थियों की सूची- नियुक्ति का अधिकार-अभिनिर्धारितः मात्र प्रत्यार्थियों के नाम चयन सूची में शामिल होने से प्रत्यार्थियों को नियुक्ति का अधिकार प्रदान नहीं होता है, बशर्ते राज्य की आेर से संभावनापूर्ण कार्यवाही की गई हो - तथ्यों पर, चयनित व्यक्ति को नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी जब पद रिक्त थे- रिक्त-पद को समाप्त करने के साथ-साथ अनुबंध करने का नीतिगत निर्णय चयनकर्ता द्वारा गैर-नियुक्ति को चुनौती देने के बहुत बाद सेवाएं ली गईं- इस प्रकार, नियुक्ति प्रस्तावित किये जाने का कोई कारण नहीं है।

इस अपील में यह प्रश्न निर्णीत किया जाना है कि क्या प्रत्यार्थी जिसका नाम चयन सूची में नंबर 04 था उसे तीन सिक्योरिटी गाड्र्स के पद पर नियुक्ति का विधिक अधिकार था जो कि अपीलार्थी संस्थान द्वारा विज्ञापित किया गया था, जब पद रिक्त था एवं जब अपीलार्थी ने नीतिगत निर्णय लिया उक्त पद को समाप्त करने का और सुरक्षा सेवाओं का अनुबंध करने का।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिकथित कियाः

1.1. केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति का नाम चयन सूची में दर्शित होता है, वही अपने आप में उसे नियुक्ति का प्रस्ताव देने का आधार नहीं हो सकता है। चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, बशर्ते, अन्य बातों के साथ-साथ,

राज्य की ओर से प्रामाणिक कार्रवाई के लिए हो। इसलिए उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग आमतौर पर नियुक्त करने वाले के पक्ष पर किसी भी अभिवचन एवं दुर्भावनापूर्ण व मनमानेपन के प्रमाण के अभाव में किसी भी याचिका का प्रत्यक्ष जारी नहीं करेगी। [अनुच्छेद 11 एवं 16] [470-सी, डी; 472-एफ, जी]

1.2. विधि को लागू करना प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों की स्थिति पर निर्भर करेगा। अप्रार्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव उस समय दिया जाना चाहिए था जब कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया था। अतः अप्रार्थी की नियुक्ति उसके पक्ष नहीं किये जाने का कोई कारण नहीं था। इसकी व्याख्या क्यों नहीं की गई है कि चयन पैनल को नजरअंदाज कर दिया गया था। यहां तक कि कथित नीतिगत निर्णय उनके विचार में नहीं था। इसके अलावा, प्रत्यर्थी एक पूर्व-सैनिक है। उसे सामान्य मामले में नियुक्ति प्रस्तावित की जाना चाहिए थी जब विशेषतः जब तीन पद रिक्त थे। उक्त पद समाप्त करने एवं सिक्योरिटी सेवाओं का अनुबंध करने का नीतिगत निर्णय अप्रार्थी के द्वारा उसकी गैर नियुक्ति का चुनौती देने से बहुत बाद में अपीलार्थी द्वारा लिया गया था। उच्च न्यायालय का निर्णय कि अप्रार्थी/प्रत्यर्थी को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है, जब प्रस्ताव में एेसा कोई निर्णय शासी निकाय द्वारा पद को समाप्त करने का नहीं लिया गया था, बल्कि मात्र स्थाई पद को सविदा के आधार पर भरने के लिए, सूची में अंकित अगले व्यक्ति की नियुक्ति पर विचार किया जाना, इसे विकृत नहीं कहा जा सकता है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का यह उपयुक्त मामला नहीं है। [अनुच्छेद 17,18,19 और 20] [469-डी, ई; 473-डी, ई, एफ, जी]

शंकरसन दास बनाम भारत संघ, [1991] 3 एस. सी. सी 47; आर. एस. मित्तल बनाम भारत संघ, [1995] पूरक 2 एस. सी. सी. 230; आशा कौल (श्रीमती) और अन्र वी.जम्मू और कश्मीर राज्य, [1993] 2 एससीसी 573; ए.पी. अग्रवाल बनाम सरकार.

एन.सी.टी. दिल्ली और ए.एन.आर., [2000] 1 एससीसी 600; खाद्य निगम भारत और ओआरएस बनाम भानु लोध और अन्य, [2005] 3 एससीसी 618; अखिल भारतीय एससी और एसटी कर्मचारी संघ और अन्य बनाम ए. आर्थर जीन और अन्य, [2001] 6 एससीसी 380; पिट्टा नवीन कुमार और अन्य बनाम राजा नरसैया जांगिती और अन्य, [2006] 10 एससीसी 261; राजस्थान राज्य और अन्य बनाम जगदीश चोपड़ा, (2007) 10 स्केल 470; भारत संघ और अन्य बनाम एस. विनोद कुमार और अन्य (2007) 11 स्केल 257 और एम.पी. और अन्य का राज्य बनाम संजय कुमार पाठक और अन्य, (2007) 12 स्केल 72, संदर्भित।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 5368 सन् 2007.

केरल उच्च न्यायालय, एर्नाकुलम के डब्ल्यू.ए. सं. 2075/2006 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 4.12.2006 से।

एल. नागेश्वर राव, रागेंथ बसंत, लिज़ मैथ्यू और सेंथिल अपीलार्थियों के लिए जगदीशन। प्रतिवादी की ओर से पी. एस. नरसिम्हा, एम. गिरीश कुमार और ख्वैरकपम नोबिन सिंह।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था एस. बी. सिन्हा, जे.

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. इस अपील में विचार के लिए यह प्रश्न है कि क्या प्रत्यार्थी/अप्रार्थी को अपीलार्थी संस्थान द्वारा विज्ञापित तीन सुरक्षा गार्डों के पद के विरुद्ध नियुक्ति होने का कोई कानूनी अधिकार था।

3. इस प्रकरण का मूल तथ्य विवाद में नहीं है। एक विज्ञापन सुरक्षा गार्ड के पद पर नियुक्ति के लिए जारी किया गया था। तीन स्थायी पद थे। चयन सूची में पाँच अभ्यार्थियों के नाम थे। अप्रार्थी/प्रत्यार्थी का नाम एस.एल. नं॰ 04 में था। इसे अंतिम

दिनांक 11-04-2005 को किया गया था। इसकी वैधता अवधि एक वर्ष की थी यानी 10.04.2006 तक की। जबकि दो अभ्यार्थियों को दिनांक 13.04.2005 एवं दिनांक 05-05-2005, तीसरे अभ्यार्थी को दिनांक 13-06-2005 को नियुक्ति दी गई थी। अभ्यार्थी ने नियुक्ति के प्रस्ताव को मना कर दिया। अप्रार्थी को नियुक्ति प्रस्तावित नहीं की गई थी जिसका कारण अपीलार्थी को ही पता है। अप्रार्थी/अभ्यार्थी ने दिनांक 12-12-2005 की उसकी गैर नियुक्ति पर प्रश्न उठाते हुए यह रिट याचिका पेश की।

4. हालाँकि, दिनांक 13.07.2005 पर या उसके लगभग एक नीतिगत निर्णय कुछ सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से अनुबंध करने के लिए निम्न आधार पर लिया गया ताकि प्रशासन कुशल और लागत प्रभावी बनेः

"विस्तृत विचार-विमर्श किये जाने के बाद, यह निर्णय लिया गया कि-

(i) रोजगार कार्यालय, तिरूवनंतपुरम को भेजे गए अनुरोध को संस्थान द्वारा सभी को एक साथ वितरित/पोस्ट किया जा सकता है। विशेष रूप से गु्रप- क् की प्रत्यक्ष भर्ती जहाॅ उम्मीदवारों/प्रत्यार्थियों को प्रत्येक पद के लिए प्रायोजित किया जाएगा ताकि व्यापक कवरेज प्राप्त किया जा सके, (ii) ग्रुप सी व बी सीधी भर्ती के पदो के मामलो मे, कागजो विज्ञापन का सहारा एक या दो प्रमुख समाचार पत्र में लिया जाना जारी रहेगा,

(iii) अस्थायी रिक्तियों/सर्वोच्च सफाई को खाली पद/सुरक्षा गार्ड के लिए प्रचलित बाहरी अनुबंध प्रणाली बी.एम.टी. विंग की अस्पताल शाखा तक भी चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा।

5. दिनांक 29/12/2005 को संस्थान मे की गई शासकीय निकाय की बैठक मे एक प्रस्ताव पारित निम्न शब्दों मे किया गयाः

"इस अनुबंध पर काफी समय से विचार-विमर्श कर रहे है, इसे और अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने के लिए कुछ सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाता है कि बी एम टी विंग पुजापुरा जिसे परीक्षण के आधार पर अनुबंधित किया गया था वह सफल पाया जाता है।

यह भी नोट किया गया कि सुरक्षा गार्ड की दो स्थायी पद एवं ड्राईवरों की दो स्थायी पद रिक्त है।

इन रिक्त पदों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया एवं सेवाऐं अनुबंधित की जा सकती है एवं सुरक्षा गार्ड व ड्राईवर/चालको को स्थाई स्तर पर खाली पद नही भरने का निदेशक के निर्णय की पुष्टि की जाती है।"

6. एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 20.09.2006 में अन्य बातो के साथ-साथ ,यह राय व्यक्त की किः

"5. मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ताओं का दखलअंदाजी का कोई मामला बनता है। इससे कोई शक नही है कि, याचिकाकर्ताओं ने इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2005 को आया था। Ext. R1(b) निर्णय दिनांक 29.12.2005 का है। लेकिन, मुझे नही लगता कि यह प्रबंधन के निर्णय को पलटने के लिए पर्याप्त है। यह प्रबंधन का निर्णय है कि कौनसे पद भरे जाने है। आमतौर पर, यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि उन पदों के संबंध मे कि किसे बरकरार रखा जाना है और किसे समाप्त करे, नियोक्ता के विवेक को वीटो करे। किसी पद को समाप्त करने के निर्णय पर रैंक सूची मे शामिल व्यक्ति द्वारा हमला नहीं किया जा सकता है, जब तक, बिना किसी शक द्वेष या प्रति मनमाना कार्रवाई का एक असाधारण मामला स्थापित किया गया हो। जाहिर तौर पर इन सेवाओं के अनुबंध से होने वाले लाभों और अन्यथा होने वाली आर्थिक हानि को ध्यान में रखते हुए , उत्तरदाताओं ने महसूस किया कि पद को बनाए रखने की

आवश्यकता नही है। ऐसे निर्णय को मध्यस्थता की संज्ञा देना कठिन है, जैसा कि जवाब शपथपत्र में मांग की गई है। यह सुस्थापित विधि है कि रैंक सूची में शामिल व्यक्ति को इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कि नियोक्ता को उसे नियुक्त करने का आदेश दें। यह ऐसा मामला नहीं है कि पदों को भरने का निर्णय लेने के बाद उत्तरदाता याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं दे रहे। Ext. R1(b) को याचिकाकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में, यह रिट याचिका विफल होती है एवं खारिज की जाती है।"

7. इस निर्णय एवं आदेश से उत्तरदाता द्वारा की गई एक अंतर-न्यायालय अपील में खण्डपीठ ने हालांकि उक्त को पलट कर, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया कि:

"....यदि रिक्ति आवश्यक रूप से समाप्त कर दी जाती है तो नियुक्ति का, चाहे पर्याप्त या अस्थायी आधार पर कोई प्रश्न नही उठता। इसे अस्थायी तौर पर भरने का फैसला किया गया है। इस प्रकार से, अनुबंध नियुक्ति से रिक्ति के अस्तित्व का पता चलता है। अधिसूचित रिक्तियों के बीच में तीसरे व्यक्ति को वास्तव में भरने का था जबकि दिनांक 13.06.2005 को सूची में तीसरे रैंक धारक को नियुक्ति की पेशकश की गई थी। एक्सटेंशन आर में निहित निर्णय शासी निकाय द्वारा लिया गया था। याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता को सरकारी निकाय द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देने की आवश्यकता नहीं है, जब Ext. R1(b) में पद को समाप्त करने का कोई निर्णय नही है, बल्कि केवल अनुबंध के आधार पर स्थायी पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। फिर, नियमित नियुक्ति के लिए सूची में शामिल अगले व्यक्ति पर विचार करना होगा....."

8. अपीलार्थी, इसलिए हमारे सामने है।

9. अपिलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एल नागेश्वर राठ ने यह प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय को खंडपीठ ने यह मानने में गंभीर त्रुटि की कि अस्थायी आधार पर एक रिक्ति थी।

इस न्यायालय के कई निर्णयों को ध्यान मे रखते हुए यह आग्रह किया कि, आक्षेपित निर्णय पूर्णतया अरक्षणीय नहीं है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत शंकरन दास बनाम भारतीय संघ {1991} 3 एस सी सी 47, बिहार राज्य वगै बनाम मों कलीमुद्धीन वगै. {1996} 2 एस सी सी 7 एवं पंजाब सरकार विधुत बोर्ड वगै. बनाम मलखेत सिंह {2005} 9 एस सी सी 22.को आधार बनाया गया।

10. वही दूसरी ओर उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी. एस. नरसिम्हा ने, यह आग्रह किया कि संस्था के चार विभाग थे। कुछ विभागों में सेवाओं को अनुबंधित करने का नीतिगत निर्णय लिया, परन्तु, जहां तक उस विभाग का प्रश्न है जिसमे उत्तरदाता को नियुक्त किया जाना या, सुरक्षा व्यक्तियों की नौकरी को अनुबंधित करने के लिए कोई नीतिगत निर्णय नहीं अपनाया गया था एवं उस मामले के दृश्य में उत्तरदाता को उसकी नियुक्ति की वैध अपेक्षा थी।

11. इस संबंध मे लागू होने वाली विधि न तो संदेह में है और न ही विवाद में है। मात्र इसलिए कि किसी व्यक्ति का नाम चयन सूची में आ गया है, यह अपने आप में उसे नियुक्ति देने का आधार नहीं हो सकता है। चयनित सूची में शामिल किसी व्यक्ति के पास इस संबंध में कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

चयनकर्ताओं के पास नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य की ओर से प्रामाणिक कार्रवाई भी शामिल है।हम क्षेत्र में चल रही कुछ उदाहरण को देख सकते हैं.

12. शंकरसन दाश बनाम भारत संघ, [1991] 3 एससीसी 47 में, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया:

"7. यह कहना सही नहीं है कि यदि कई रिक्तियां अधिसूचित की गई हैं नियुक्ति के लिए और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार उपयुक्त पाए जाते हैं, तो सफल उम्मीदवारों को नियुक्ति का एक अपरिहार्य अधिकार प्राप्त होता है जिसे वैध रूप से अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। सामान्यतः अधिसूचना केवल योग्य उम्मीदवारों को भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए निमंत्रण के समान है और उनके चयन पर उन्हें पद पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब तक प्रासंगिक भर्ती नियम निर्दिष्ट न हों, राज्य पर सभी या किसी भी रिक्तियों को भरने का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य के पास मनमाने ढंग से कार्य करने का लाइसेंस है।

रिक्तियों को न भरने का निर्णय उचित कारणों से लिया जाना चाहिए। और यदि रिक्तियां या उनमें से कोई भी भरा जाता है, तो राज्य उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता का सम्मान करने के लिए बाध्य है, जैसा कि भर्ती परीक्षा में दर्शाया गया है, और किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस न्यायालय द्वारा इस सही स्थिति का लगातार पालन किया गया है, और हमें हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा, नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य, या जतेंद्र कुमार बनाम पंजाब राज्य के फैसलों में कोई असंगत टिप्पणी नहीं मिली है।"

13. एक बार फिर आर.एस. में मित्तल बनाम भारत संघ, [1995] सप्लिमेंट्री 2 एससीसी बी 230, इस न्यायालय ने कहा:

"यह निस्संदेह सही है कि चयन पैनल के किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त होने का कोई निहित अधिकार नहीं है जिसके लिए उसे चुना गया है। उसे नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। उसे नियुक्ति के लिए विचार किये जाने का अधिकार

है।लेकिन साथ ही, नियुक्ति प्राधिकारी चयन पैनल की अनदेखी नहीं कर सकता या अपनी मर्जी से नियुक्ति करने से इनकार नहीं कर सकता। जब किसी व्यक्ति का चयन चयन बोर्ड द्वारा कर लिया गया हो और उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए कोई रिक्त पद उसे दिया जा सके। स्थिति, तो, आमतौर पर, नियुक्ति के लिए उसकी उपेक्षा करने का कोई औचित्य नहीं है। चयन पैनल में शामिल किसी व्यक्ति को नियुक्त करने से इनकार करने का उचित कारण होना चाहिए।

वर्तमान मामले में, सरकार की ओर से केवल निष्क्रियता रही है। कोई भी कारण नहीं बताया गया, उचित कारण की तो बात ही छोड़िए, यह भी नहीं बताया गया कि अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ क्यों नहीं दी गईं शीघ्रता से और कानून के अनुसार। रिक्ति की उपलब्धता के उचित समय के भीतर श्री मुर्गड को नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी और उसके बाद अगले उम्मीदवार को। इस मामले में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित था।"(जोर दिया गया)

14. आशा कौल (श्रीमती) और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, [1993] 2 एससीसी 573 में, इस न्यायालय ने कहा:

"8. यह सच है कि केवल चयन सूची में शामिल होने से उसमें शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिल जाता। (हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंदर मारवाहा; मणि सुब्रत जैन बनाम हरियाणा राज्य; और केरा राज्य/ए वि.ए. लक्ष्मीकुट्टी) लेकिन यह मामले का केवल एक पहलू है। दूसरा पहलू सरकार का निष्पक्षता से कार्य करने का दायित्व है। पूरी कवायद को एक तमाशे तक सीमित नहीं किया जा सकता।

विशेष संख्या का चयन करने के लिए आयोग को एक मांग/अनुरोध भेजा है एक विशेष श्रेणी के लिए उम्मीदवारों की, - जिसके अनुसरण में आयोग एक अधिसूचना

जारी करता है, लिखित परीक्षा आयोजित करता है साक्षात्कार, एक चयन सूची तैयार करता है और फिर सरकार को सूचित करता है - सरकार चुपचाप और अच्छे और वैध कारणों के बिना पूरी प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकती है और जब उम्मीदवार शिकायत करते हैं तो उन्हें यह नहीं बता सकती है कि उनके पास नियुक्ति का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हमें नहीं लगता कि आज कोई भी सरकार बिना किसी औचित्य के ऐसा रुख अपना सकती है..." {[ए.पी. अग्रवाल बनाम सरकार भी देखें। दिल्ली के एनसीटी और अन्य (20001 1 600]}.

15. फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम भानु लोध और अन्य, [2005] 3 एससीसी 618 में, इस न्यायालय ने कहा:

"14. केवल इसलिए कि रिक्तियों को अधिसूचित कर दिया गया है, राज्य सभी रिक्तियों को भरने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि लागू नियमों में इसके विपरीत कोई प्रावधान न हो। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है रिक्तियों को न भरने का निर्णय प्रामाणिक रूप से लिया जाना चाहिए और तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए ताकि संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर असफल न हों। पुनः, यदि रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव है, तो राज्य उन्हें चयनित उम्मीदवारों की सूची से योग्यता के अनुसार भरने के लिए बाध्य है। किसी पद को भरना है या नहीं भरना एक नीतिगत निर्णय है, और जब तक यह मनमानी के विकार से ग्रसित है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है न्यायिक समीक्षा में हस्तक्षेप के लिए।"

16. इसलिए, यह स्पष्ट है कि जबकि चयनकर्ता के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है और न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय आम तौर पर किसी भी दलील के अभाव में किसी भी रिट को जारी करने का निर्देश

नहीं देगा। और नियोक्ता की ओर से दुर्भावना या मनमानी का प्रमाण। इसलिए, प्रत्येक मामले पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

17. अखिल भारतीय एससी और एसटी कर्मचारी संघ और अन्य बनाम ए आर्थर जीन और अन्य, [2001] 6 एससीसी 3 80 में, यह राय दी गई थी:

"10. केवल इसलिए कि उम्मीदवारों के नाम उनके अनंतिम चयन को दर्शाने वाले पैनल में शामिल किए गए थे, उन्हें नियुक्ति के लिए कोई अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, यहां तक कि इसके बावजूद भी मौजूदा रिक्तियां और सभी को भरने का राज्य का कोई कानूनी कर्तव्य नहीं है या शंकरसन दाश बनाम भारत संघ में पहले के मामलों का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित रिक्तियों में से कोई भी।"

[मल्लिकयत सिंह (सुप्रा), पित्त नवीनकुमार और ओरस्व को भी देखें। राजा नरसैया ज़ंगिटी और अन्य, [2006] 10 एससीसी 261, राज्य राजस्थान एवं अन्य बनाम जगदीश चोपड़ा, (2007) 10 स्केल 470, भारत संघ और अन्य बनाम एस विनोद कुमार और अन्य, (2007) 11 स्केल 257 और एमपी राज्य और अन्य बनाम। संजय कुमार पाठक एवं अन्य, (2007) SCALE 72.

18. इसलिए, कानून का लागू होना, प्रत्येक मामले में प्राप्त तथ्य स्थिति पर निर्भर करें। उपरोक्त आधिकारिक घोषणाओं के मद्देनजर उच्च न्यायालय का निर्णय विकृत नहीं कहा जा सकता। प्रतिवादी को उस समय नियुक्ति की पेशकश की जानी थी जब कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया था। इस प्रकार, उनके पक्ष में कोई नियुक्ति की पेशकश न करने का कोई कारण नहीं था। चयन पैनल को क्यों नजरअंदाज किया गया, इसकी व्याख्या नहीं की गई है। यहाँ तक कि कथित नीतिगत निर्णय भी उनके

चिंतन में नहीं था। इसलिए, हमें विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

19. इसके अलावा, प्रतिवादी एक भूतपूर्व सैनिक है। सामान्य स्थिति में उन्हें नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए थी, खासकर तब जब तीन पद खाली थे। जब उन्होंने रिट याचिका दायर की थी तब पदों को खत्म करने का निर्णय नहीं लिया गया था। यह उम्मीद की गई थी कि 16.06.2005 को जब तीसरे उम्मीदवार ने इस पद पर शामिल होने से इनकार कर दिया, तो उसे भी यही पेशकश की जानी चाहिए थी।

20. पदों को समाप्त करने के साथ-साथ संविदा करने का नीतिगत निर्णय अपीलकर्ता द्वारा सुरक्षा सेवाएँ उसके काफी समय बाद, अर्थात 29.12.2005 को या उसके आसपास ली गई थीं। इसलिए, हमारी राय है कि यह कोई उपयुक्त मामला नहीं है जहां हमें विवादित फैसले में हस्तक्षेप करना चाहिए। अपील खारिज कर दी गयी है। कोई लागत नहीं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नेहा मौर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।